CCIS are already very high. Besides, the idea of the Government is to gain some more experience in respect of the crops presently covered under the CCIS. However, the matter regarding inclusion of Cotton and Sugarcane in the CCIS has been referred for advice to the Standing Advisory Committee (SAC) constituted recently in the Ministry of Agriculture.

*328. [*Transferred to the 6th September, 1990*]

Losses of the State Farms Corporation of India

*329. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what are the accumulated losses of the State Farms Corporation of India since its inception;

(b) what were its losses during the years 1985-86 and 1986-87;

(c) whether it is a fact that Government propose to close down the Corporation; and

(d) if not, what steps are being taken by Government to make it profitable?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) The accumulated losses of the SFCI since its inception upto 31st March, 1989 are Rs. 813.45 lakhs.

(b) The profit/loss for the years 1985-86 and 1986-87 is as follows:—

Year	Profit(+)/Loss(—) (Rs. in lakhs)
1985-86	(+) 23.63
1986-87	(+) 5.35

(c) No, Sir.

(d) The working of the Corporation is reviewed by the Government of India from time to time, with a view to improve its performance. The steps taken by the Corporation, to improve its profitability include, modification in the cropping pattern, improvement and augmentation of irrigation facilities, land development worsk and better marketing.

Special cells for recovery of PF arrears

*330 SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY:

SHRI V. GOPALSAMY:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether special cells have been constituted to recover the PF arrears; if so, the details thereof;

(b) what is the nature of the assignment given to these special cells;

(c) whether it is a fact that recovery of huge PF arrears is pending at present against the Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd., Kerala in case of its contract employees; if so, the details thereof and also the procedure adopted to recover the amount; and

(d) what steps are being taken to recover this amount and also to prosecute the FACT management in this regard?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (d) 'Special Monitoring Cells' are at present functioning in Regional Offices of the Employee's Provident Fund in Kerala and certain other regions. These Cells keep watch on payment of contributions and to ensure speedy action for launching prosecutions/revenue recovery against defaulters.

According to available information, no provident fund dues are outstanding from M/s. Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd., Kerala in respect of their contractors' employees. However, some complaints regarding non-extension of provident fund benefits to their contractors' employees from the date they were eligible for coverage have been received and these are being looked into.

महिला छात्रावासों में अनियमितताओं की जांच

*331. **श्री राम अठमलानी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने आल इंडिया वीमन्स कांफ्रेंस और दिल्ली महिला समाज द्वारा कार्यरत महिलाओं के लिए संचालित छात्रावासों म की जा रही अनियमितताओं की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की गई जांच के परिणाम का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में इन छात्रावासों को संचालित करने के लिये कोई सुचारू और सुव्यवस्थित व्यवस्था की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क)जी, हां ।

(ख) आल इंडिया वीमेन्स कांफ्रेंस ने उन संवासियों को होस्टल खाली करने के नोटिस देते समय एक समान मानदंडों का अनपालन नहीं किया था जो वहां रहने की पात्र नहीं हैं । उन्होंने होस्टल के एक हिस्से को ऐसी महिलाओं के लिए अस्थायी निवास (ट्रांजिट-कैम्प) के रूप म इस्तेमाल करने का भी प्रस्ताव रखा जो साक्षात्कार, परीक्षा इत्यादि के लिए कुछ दिनों के लिए दिल्ली आती हैं ।

दिल्ली महिला समाज ने सरकार की सहायता से बने होस्टल भवन का एक बड़ा हिस्सा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खले विश्वविद्यालय को किराये पर दे दिया है ।

(ग) और (घ) योजना में किए प्रावधान के अनुसार इन होस्टलों का संचालन और प्रबंध संबंधित संगठनों अर्थात् आल इंडिया वीमेन्स कांफ्रेंस और दिल्ली महिला समाज द्वारा किया जाना है । संगठनों को यह अनुदेश जारी किए गए है कि वे योजना में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करें ।

आल इंडिया वीमेन्स कांफ्रेंस को प्रबंधक समिति की जिसमें दिल्ली प्रशासन और होस्टल के संवासियों के प्रतिनिधि शामिल हैं, एक बैठक बुलाने के लिए कहा गया था । एक ऐसी बैठक 23 जुलाई, 1990 को की गई और ऐसे सभी संवासियों को, जिन्हें वहां रहते हुए 10 वर्ष हो चुके हों, 6 महीने का नोटिस दिए जाने का निर्णय लिया गया है । आल इंडिया वीमेन्स कांफ्रेंस को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि सरकारी अनुदान सहायता से बनाए गए भवन का कोई भी हिस्सा ऐसे प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल न किया जाय जिसके लिए अनुदान दिया गया हो ।

दिल्ली महिला समाज द्वारा चलाए जा रहे होस्टल के संबंध में सरकार ने आगे के लिए सरकारी अनुदान देने पर प्रतिबंध लगा दिया है और दिए गए अनुदानों को ब्याज सहित वापिस लेने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

Land to slum dwellers occupying Railway land in Bombay

*332. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to give on